भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 134
दिनांक 20 जुलाई 2026

बिहार में गैस पाइपलाइन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही बाधाएँ एवं उनके समाधान

134 # **डा. धर्मशीला गुप्ताः**

क्या ***पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बिहार के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा गैस पाइपलाइन बिछाने के कार्य में भूमि अधिग्रहण, अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी), स्थानीय प्रशासनिक अनुमतियों अथवा अन्य कारणों से कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) बिहार राज्य में घरेलू पाइप्ड प्राकृतिक गैस (पीएनजी) एवं औद्योगिक गैस आपूर्ति के विस्तार हेतु गैस पाइपलाइन परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) और (ख) प्राकृतिक गैस की आपूर्ति प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क और नगर गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क के माध्यम से की जाती है। पीएनजीआरबी अधिनियम, 2006 के तहत गैस पाइपलाइन बिछाने, बनाने, प्रचालन या उसका विस्तार करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) कंपनियों को प्राधिकृत करने वाला प्राधिकरण है। बिहार राज्य में जगदीशपुर-हल्दिया-बोकारो-धामरा-पारादीप-बरौनी-गुवाहाटी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (जेएचबीडीपीएल) जिसे 29.01.2018 को मैसर्स गेल (इंडिया) लिमिटेड को प्राधिकृत किया गया था, द्वारा आपूर्ति की जाती है । यह पाइपलाइन उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और असम राज्यों से होकर गुज़रती है, जिससे पूरे क्षेत्र में स्वच्छ और भरोसेमंद प्राकृतिक गैस मिल पाती है। बिहार में कुल 722 किलोमीटर (लगभग) लंबे पाइपलाइन नेटवर्क का पूरा हिस्सा कमीशन हो चुका है और प्रचालन में है। यह पाइपलाइन राज्य के सभी 14 प्राधिकृत भौगोलिक क्षेत्र (जीए) को कनेक्टिविटी देती है।

बिहार सहित पूरे देश में पाइपलाइन नेटवर्क की प्रगति की नियमित रूप से निगरानी की जाती है। इसके अलावा, सरकार संबंधित राज्यों में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क के विकास और इससे जुड़ी चुनौतियों का समाधान करने के लिए राज्य सरकारों के साथ नियमित बातचीत और बैठकें करती है।

इसके अलावा, सरकार ने देश भर में पाइपलाइन अवसंरचना विशेषकर सीजीडी के निर्धारित समय-सीमा मे विस्तार करने के लिए 'आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955' के तहत दिनांक 24.03.2026 को व्यापक नियंत्रण आदेश अधिसूचित किया। यह आदेश 'मार्ग का अधिकार' (आरओडब्लू) और अनुमति देने के लिए एक समान ढाँचा प्रदान करता है जिसमे सख़्त समय-सीमा तय करना, देरी होने पर स्वतः अनुमोदन मिलने की सुविधा देना और सरकारी अधिकारियों द्वारा अनधिकृत शुल्क लगाने पर रोक लगाना शामिल है। यह रिहायशी और निजी क्षेत्रों में पाइपलाइन बिछाने में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए बिना भेदभाव के और समयबद्ध अनुमति सुनिश्चित करता है।

बिहार सरकार ने पाईप्ड प्राकृतिक गैस पहुंचाने वाली अवसंरचना की तेज़ी से लागू करने के लिए एक कार्यप्रणाली तैयार की है जिसमें मुख्य सचिव की देखरेख में उच्च-स्तरीय निगरानी, ज़िला-स्तर पर समन्वय के लिए तंत्र, स्वतः अनुमोदन वाली एकल विंडो निकासी प्रणाली और बिहार सीजीडी नीति बनाना शामिल हैं, जिससे शीघ्र मंज़ूरी मिलने और अंतर-एजेंसियों के बीच समन्वय में वृद्धि होती है।
